राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर

क्रमांकः– एफ.2 (क)(1)/(बी–215) अलेसे–I/218 दिनांकः– 18/05/2017

कार्यालय आदेश

विभागीय आदेश कमांक एफ.2(क)(सेवानिवृत्ति) अलेसे–I/9897–10195 दिनांक 06.11.2015 के द्वारा क्रम संख्या 36 पर अंकित श्री बलदेव सिंधी के अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 31.07.2016 से सेवानिवृत किये जाने के आदेश जारी किये गये थे। श्री बलदेव सिंधी के विरूद्व राजस्थान सिविल सेवाएं(वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम–1958 के नियम–16 के अर्न्तगत विभागीय जांच कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण ''जांच बकाया नहीं'' का प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया था।

श्री सिंधी की दिनांक 25.01.2017 को मृत्यु हो जाने के कारण विभागीय आदेश क्रमांकः– एफ.1(सी) 1523/जांच/2012/81–86 दिनांक 03.05.2017 द्वारा प्रकरण पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए समाप्त कर दिये जाने के परिणामस्वरूप तथा श्री सिंधी के विरूद्व अन्य कोई जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं होने के कारण वित्त (नियम) विभाग शासन सचिवालय, जयपुर द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.12 (6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24.03.2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री बलदेव सिंधी, सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड–I के विरूद्व आज तक :–

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम–16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम–19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(पंकज पाटनी)
निदेशक

क्रमांकः– एफ.2 (क)(1)/(बी–215) अलेसे–I/218 दिनांकः– 18/05/2017

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, जोधपुर।
2. कोषाधिकारी, बाड़मेर।
3. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, बाड़मेर।
4. श्रीमती विमला देवी पत्नी स्व. श्री बलदेव सिंधी, सेवानिवृत्त सहायक लेखाधिकारी, ग्रेड–I, सी.एच.–6, महावीर नगर, बाड़मेर।
5. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक महोदया।
6. उपनिदेशक(एसीपी), कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में एन्ट्री करने हेतु।
7. पदस्थापन शीट/गार्ड फाईल/एसीआर/डीपीसी शाखा।

(बलवीर सिंह गोठवाल)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक–I)